

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2219 / 2008 / जोधपुर.

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, भिवाड़ी, अलवर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गल्फ ऑयल इण्डिया लिमिटेड,
जोधपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित.

निर्णय दिनांक : 25 / 10 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 1264/आरएसटी/एनआरडी/99-00 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.11.2007 के विरुद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1994' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 09.02.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.2000 को वाहन संख्या एच.आर.14/2026 को चैक किया गया। माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में राज्य के बाहर परिवहनित किया जा रहा था, परन्तु माल के साथ अनिवार्य घोषणा प्रपत्र एसटी-18सी संलग्न नहीं था, जो कि धारा 78(2) सपठित नियम 54 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण व्यवहारी को नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र एसटी-18सी सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए माल के परिवहन के समय घोषणा पत्र नहीं होने से अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 1,97,104/- का आरोपण किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक



लगातार.....2

14.11.2011 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत जो आदेश पारित किया गया था, वह विधिसम्मत था क्योंकि वक्त जांच अनिवार्य घोषणा पत्र एसटी-18सी प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में परिवहनित माल स्टाक ट्रांसफर के रूप में जा रहा था व वांछित दस्तावेज घोषणा प्रपत्र एसटी-18 सी नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अपीलार्थी के जवाब के अनुसार वाहन चालक ने गलती से एसटी-18 सी अपीलार्थी के कार्यालय से नहीं लिया था जबकि वह पूर्ण भरा हुआ उपलब्ध था एवं नोटिस के जवाब के साथ प्रथम अवसर पर ही जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के अधीन एवं दिनांक 30.03.2000 से पूर्व घोषणा पत्र एसटी-18सी प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र नोटिस के जवाब में पेश करने के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स के आलोक में प्रथम प्रदत्त अवसर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देने पर शक्ति आरोपण करना उचित नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2007 की पुष्टि की जाती है तथा सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 09.02.2000 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य